संख्या- 16/2020/1378/31-2020-06/2017

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3- समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0।
4- पुलिस कमिश्नर, लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, लखनऊः दिनांकः 11 दिसम्बर, 2020

विषयः-प्रदेश में कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण।

महोदय,

प्रदेश की कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्याकंन तथा अनुश्रवण हेतु सूचकांक के आधार पर जनपद एवं मण्डल की रैंकिंग निर्धारण विषयक कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-**13**/20**20**/**755**/31-20**20**-06/2017 दिनांक **27** अगस्त, 2020 को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में संचालित सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों (संलग्नक) के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु दो प्राथमिक संरचनाएं यथा प्रशासनिक स्तर(जनपद/मण्डल स्तर) एवं विभागीय स्तर सम्मिलित की गई हैं। जिनकी रूपरेखा निम्नानुसार होगीः-

1- **जनपद स्तरीय बैठक**

(1) कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की बैठक अलग-अलग रखी जाए।

(2) सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों की विभिन्न तिथियों पर विभागवार प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद मुख्यालय पर बैठकें आहूत की जाएगी। इन बैठकों में विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

(3) कानून-व्यवस्था की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन पर की जाएगी, जिसमें जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी0जी0सी0 एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) जनपद लखनऊ एवं गौतमबुद्धनगर में कानून-व्यवस्था की बैठक पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में पुलिस लाईन पर की जाएगी, जिसमें अपर पुलिस कमिश्नर, पुलिस उप कमिश्नर, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, डी0जी0सी0 एवं सभी थानाध्यक्ष प्रतिभाग करेंगे।

2- **मण्डल स्तरीय बैठक**

(1) कानून-व्यवस्था एवं विकास कार्यों की बैठक अलग-अलग रखी जाए।

(2) सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यक्रमों की विभिन्न तिथियों पर विभागवार प्रत्येक माह की 15 तारीख तक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय पर बैठकें आहूत की जाएगी। इन बैठकों में मण्डल के अन्तर्गत सभी जनपदों के जिलाधिकारी एवं विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे।

(3) कानून-व्यवस्था की बैठक मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल मुख्यालय पर की जाएगी, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं मण्डल के अन्तर्गत जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रतिभाग करेंगे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अपराध सम्बन्धी बैठक मण्डलायुक्त की बैठक के पूर्व कर ली जाए।

3- जिन जनपदों में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था लागू है उन जनपदों की कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक अपर मुख्य सचिव, गृह एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रत्येक माह की जाएगी।

4- उपर्युक्त बैठकें विभिन्न विभागों में संचालित कार्यक्रमों की प्रगति के सम्बन्ध में की जाएंगी। सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में आवश्यकतानुसार संशोधन/परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसके बारे में आपको तत्समय अवगत कराया जाएगा।

5- इन सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की गहन समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया गया है।

6- जनपदवार एवं मण्डलवार रैंकिंग

सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप में जनपदों द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए आंकड़ों के आधार पर जनपदवार एवं मण्डलवार रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा। इस हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

महत्वपूर्ण सूचकांकों (के0पी0आई0) का प्रयोग करते हुए रैंकिंग का निर्धारण निम्नवत् किया जाएगाः-

(1) जनपद व मण्डल की रैंकिंग का निर्धारण 4 श्रेणियों यथा हरा, पीला, नीला एवं लाल रंग में पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा। जनपद एवं मण्डल की रैंकिंग हेतु चार अधिकारियों की एक मूल्यांकन समिति का गठन निम्नवत किया गया है:-

(क) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(ख) प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उ0प्र0 शासन।

(ग) प्रमुख स्टाफ आफिसर/स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(घ) अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(2) प्रत्येक माह समिति तय करेंगी कि चिन्हित प्राथमिकताओं में से किस प्राथमिकता पर रैंकिंग का निर्धारण किया जाएगा तथा प्राथमिकता कार्यक्रमों के सूचकांक का निर्धारण भी समिति द्वारा तय किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से गोपनीय होगी।

(3) जनपद एवं मण्डल की रैंकिंग का निर्धारण के पश्चात् रैंकिंग पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

(4) जनपद एवं मण्डल की रैंकिंग का निर्धारण सूचकांक के आधार पर किया जाएगा, परन्तु कतिपय सूचकाकों में ग्रेडिंग का आधार राज्य सामान्य औसत रहेगा तथा कतिपय सूचकाकों में ग्रेडिंग लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि पर होगा। सूचकांक पर भार मूल्यांकन समिति द्वारा तय किया जाएगा।

(5) कतिपय कार्यक्रम जनपदों में संचालित नहीं है या जनपद में लागू नहीं हैं अथवा कार्यक्रम में लक्ष्य शून्य है, ऐसे कार्यक्रम को एन श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए रैंकिंग से बाहर रखा जाएगा।

7- विभागीय स्तर की बैठकें

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों के साथ-साथ विभाग में संचालित अन्य कार्यक्रमों की विभिन्न तिथियों पर प्रत्येक माह वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें निदेशक एवं प्रदेश के सभी मण्डल स्तरीय अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

बैठक में अन्य सभी बैठकें समाहित मानी जाएगी, इसके अतिरिक्त अन्य बैठक न बुलाई जाए।

8- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग की वेबसाइट **upkkv.in** पर अपलोड प्रारूपों पर डेटा फीडिंग का कार्य प्रत्येक माह की **20** तारीख तक अवश्य कराया जाएगा। इस हेतु जनपदों के उपयोगार्थ यूजर आई**0**डी**0** एवं पासवर्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं।

9- सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों की मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सतत् समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु मण्डल स्तर पर संयुक्त विकास आयुक्त नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसी प्रकार उक्त कार्यक्रमों की जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सतत् समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर जिला विकास अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का तत्काल कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-16/2020/1378/31-2020-06/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समाज कल्याण आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
6. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
7. समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्री, मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) एवं मा0 राज्यमंत्री, उ0प्र0 शासन
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आमोद कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक

सर्वोच्च प्राथमिकता कार्यक्रम

क्र0सं0	प्रपत्र सं0	योजनाएं	नोडल विभाग
1	1.1	प्रमुख अपराधों में कृत कार्यवाही	गृह
	1.2	महिला उत्पीड़न सम्बन्धी पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही	
	1.3	पाक्सो एक्ट के पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही	
	1.4	अनूसूचित जाति/जनजाति उत्पीडन के विरूद्ध पंजीकृत अभियोगों में कृत कार्यवाही	
	1.5	लम्बित विवेचनाओं का विवरण	
	1.6	वॉछित अपराधियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही	
	1.7	25 हजार या उससे अधिक की धनराशि के पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही	
	1.8	गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही	
	1.9	रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही	
	1.10	गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही	
	1.11	गोवध/पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही	
2	2	कर एवं करेत्तर राजस्व संग्रह	वित्त
3	3	राज्य भूजल संरक्षण मिशन	लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल
4	4.1	भू-माफियाओं तथा अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विभागवार विवरण	राजस्व
	4.2	राजस्व वादों का निस्तारण (चकबन्दी वादों सहित)	
	4.3	विभिन्न प्रकार की दैवी आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों हेतु राहत	
5	5.1	अवैध खनन/परिवहन के मामलों में किये गये प्रर्वतन कार्य	भूतत्व एवं खनिकर्म
	5.2	खनन पट्टों की अद्यतन स्थिति	
	5.3	नदी तल के उपखनिज बालू/मोरम हेतु कृषि एवं निजी भूमि पर प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का विवरण	
6	6.1	नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना सिल्ट सफाई (रबी/खरीफ--------वर्ष)	सिंचाईं एवं जल संसाधन
	6.2	नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7	7.1	स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाये का अद्यतन विवरण	ऊर्जा
	7.2	निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर प्राप्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण	
8	8.1	नई सड़कों का निर्माण/चौडीकरण एवं सुदृढीकरण	लोक निर्माण
	8.2	ओ0डी0आर0/एम0डी0आर0/राज्य मार्गों के अनुरक्षण की स्थिति (विशेष मरम्मत, नवीनीकरण/सामान्य मरम्मत, नवीनीकरण)	
	8.3	सेतुओं का निर्माण	
9	9.1	सोलर फोटोवोल्टाइक सिंचाई पम्प की आपूर्ति एवं स्थापना	कृषि
	9.2	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	
	9.3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	
	9.4	कृषि आधारभूत संरचना (Agriculture Infrastructure)	
10	10.1	निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना	पशुधन
	10.2	पशु टीकाकरण कार्यक्रम	
	10.3	मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना	
	10.4	गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की इयर टैगिंग	
11	11.1	चिकित्सकों की उपलब्धता	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
	11.2	प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत- गोल्डेन कार्ड)	
	11.3	प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना (आयुष्मान भारत-उपचारित रोगी)	
	11.4	परिवार नियोजन कार्यक्रम हेतु मासिक समीक्षा प्रपत्र	
	11.5	हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर	
	11.6	पी0पी0पी0 परियोजनाओं की समीक्षा हेतु प्रपत्र	
	11.7	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0)	
	11.8	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर0बी0एस0के0)	
	11.9	एफ0आर0यू0 समीक्षा का प्रारूप	
	11.10	दवाओं की उपलब्धता	
	11.11	102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा की स्थिति	
	11.12	108 इमरजेन्सी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एम्बुलेंस सेवाओं की स्थिति	
	11.13	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश (वित्तीय प्रगति)	
	11.14	मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम समीक्षा का प्रारूप	
	11.15	टीकाकरण	
	11.16	अधूरे निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

12	12.1	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	पंचायतीराज
	12.2	ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की प्रगति	
	12.3	हैण्डपम्पों का रीबोर/मरम्मत	
	12.4	पंचायत भवन की शत-प्रतिशत सन्तृप्तता	
	12.5	एक्शन साफ्ट/प्रिया साफ्टवेयर पर राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि/अनुदान की धनराशि का व्यय	
13	13.1	अमृत योजना	नगर विकास
	13.2	स्मार्ट सिटी योजना	
	13.3	अपशिष्ट प्रबन्धन	
	13.4	स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) खुले में शौच से मुक्ति	
	13.5	प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी	
14	14.1	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	ग्राम्य विकास
	14.2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	
	14.3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	
	14.4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	
	14.5	मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	
15	15	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन (निर्माणाधीन स्वीकृत ग्रामीण पाइप्ड पेयजल योजनाएं)	नमामि गंगे एवं जलापूर्ति
16	16.1	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना- आधार सीडिंग एवं आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की प्रगति	खाद्य एवं रसद
	16.2	रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन	
17	17	मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन	मत्स्य
18	18.1	राज्य औद्यानिक मिशन	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
	18.2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पर डाप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन)	
19	19.1	मा0 मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना(शादी अनुदान) -	समाज कल्याण
	19.2	पेंशन योजनाएं- (भौतिक/वित्तीय प्रगति)	समाज कल्याण /महिला कल्याण दिव्यांगजन
	19.3	छात्रवृत्ति वितरण (पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति)	समाज कल्याण
20	20	छात्रवृत्ति वितरण (पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति)	पिछड़ा वर्ग कल्याण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

21	21.1	राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनाएं	अल्पसंख्यक कल्याण
	21.2	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती एम0एस0डी0पी0)	
	21.3	शादी अनुदान योजना	
22	22	कन्या सुमंगला योजना	महिला कल्याण
23	23.1	आई0सी0डी0एस0- मनरेगा, पंचायतीराज एवं आई0सी0डी0एस0 विभाग के कन्वर्जेन्स के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण	बाल विकास एवं पुष्टाहार
	23.2	आई0सी0डी0एस0 (पोषण अभियान)	
24	24	सामाजिक वनीकरण	वन
25	25	दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन	दुग्ध विकास
26	26	गन्ना मूल्य भुगतान	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
27	27.1	ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्तीकरण	बेसिक शिक्षा
	27.2	विद्यालयों का निरीक्षण	
	27.3	ग्रेड काम्पीटेंसी (लर्निंग आउटकम प्राप्ति आंकलन हेतु सम्पन्न हुई परीक्षा का परिणाम)	
28	28	कौशल विकास मिशन-विभिन्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा	व्यावसायिक शिक्षा
29	29	ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की-स्थिति	आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक्स
30	30.1	स्वरोजगार योजनाएं	सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम
	30.2	उद्योग बन्धु एवं उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण	
31	31	Ease of Doing Business	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास
32	32.1	बंधुआ श्रमिकों का अवमुक्तीकरण, प्राभियोजन, निर्णयन, पुनर्वासन एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रकरणों की समीक्षा	श्रम
	32.2	श्रमिक पंजीयन, अधिष्ठान पंजीयन एवं उपकर संग्रहण की समीक्षा	
	32.3	प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना	
33	33	अपर जिलाधिकारी एवं न्यायालय स्तर पर दायर, लम्बित एवं निस्तारित मुकदमें तथा वसूली गई धनराशि	खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

34	34.1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना	खादी एवं ग्रामोद्योग
	34.2	मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना	
35	35.1	सहकारी देयों एवं एन0पी0ए0 की वसूली	सहकारिता
	35.2	आर0के0वी0वाई0 व अन्य योजना के अन्तर्गत गोदाम निर्माण तथा एकीकृत सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत निर्माण	
36	36	आई0जी0आर0एस0	लोक शिकायत
37	37.1	रू0 50 लाख एवं उससे अधिक लागत के अन्य निर्माण कार्यों की समीक्षा (सडकों को छोडकर)	नियोजन
	37.2	परियोजनाओं का विवरण	
38	38	आत्म निर्भर भारत	संस्थागत वित्त

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।